Himalayan Journal of Social Sciences & Humanities
(A Peer Reviewed Journal of Society for Himalayan Action Research and Development)
ISSN: 0975-9891

आरक्षण नीति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये प्रमुख निर्णयों का एक अवलोकन

मानवेन्द्र सिंह गुसांई
विधि विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर,पौडी गढ़वाल

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 21.11.2016
Accepted: 20.12.2016

कुंजी शब्द–

आरक्षण व्यवस्था, राजनीतिक कारण , उच्चतम न्यायालय विश्लेषण,

सारांश

भारत में आरक्षण व्यवस्था संविधान कर्ताओं द्वारा प्रारम्भ में 10 वर्षो के लिए दी गई थी परन्तु सामाजिक अथवा राजनीतिक कारणों से यह व्यवस्था आजादी के 70 वर्षो बाद भी जारी है। प्रस्तुत शोध पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण नीति पर समय–समय पर दिये गये निर्णयों पर एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में तथा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक दिये गये है।

अनुच्छेद 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों मे आरक्षण को अनुमन्य किया गया है।

अनुच्छेद 15 के खण्ड (4) के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड–2 की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नही करेगी।

अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 16 का खण्ड (4) के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की शय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। नियुक्तिओं या पदो के आरक्षण के लिये उपबन्ध कर सकता है।

अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 को उच्चतम न्यायालयों ने अपने निर्णयों के माध्यम सें आरक्षण नीति को समझाया गया हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में आरक्षण से सम्बन्धित निर्णयों का ही जिक्र किया जा रहा है।

वेंकेट रमन मद्रास राज्य (A.I.R 1951, S.C 41)

मद्रास सरकार ने मुन्सिफ के पद के लिए न केवल हरिजन और पिछडी जातियों के लिए वरन दूसरे समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाइयों, पिछड़े ब्राहमणों के लिए भी स्थानों को आरक्षित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत केवल पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किये जा सकते है। चूँकि उक्त समुदाय पिछड़े नहीं है। अत; उनके लिए लोकपदों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के विरुद्ध है। जो कि अनुच्छेउ 16(1) और अनुच्छेद 16(2) में दिये गये नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करना है।

मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराईराजन (A.I.R 1951, S.C 226)

इस वाद में मद्रास सरकार ने एक साम्प्रदायिक राजाज्ञा जारी करके राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियेां और समुदायों के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारित किया था। स्थानों का आरक्षण धर्म, वर्ण और जाति आधारित था क्योंकि ब्राहमणों के लिए कुछ ही स्थान थे जिनके पूरे होने के कारण इस समुदाय के योग्यतम विद्यार्थियों को भी प्रवेश नही मिल सकता था, जबकि दूसरे समुदाय के अपेक्षाकृत कम योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को स्वत; प्रवेश मिल जाता था।

सरकार ने इस कानून को इस आधार पर न्यायोचित बताया है कि इसका जनता के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना था जैसे कि राज्य के नीति निदशक तत्वों के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया कि राजाज्ञा असंवैधानिक है। क्योंकि इसमें किया गया वर्गीकरण धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर किया गया था। विद्यार्थियों की योग्यता पर नहीं राज्य के नीति निदेशक तत्व नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रभावी नही हो सकते ।

बालाजी बनाम मैसूर राज्य (A.I.R 1963, SC 649)

इस वाद में सरकार ने अनुच्छेद 15(4) के अधीन मेडिकल और इन्जीनियरिंग कॉलेजों मे प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण किया था जो इस प्रकार था पिछड़े वर्गों के लिए 28 प्रतिशत अधिक पिछड़े वर्गों के लिए 22 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत इस प्रकार कुल मिलाकर 68 प्रतिश स्थान उपर्युक्त वर्गों के लिए आरक्षित थे। कुल योग्यतम प्रत्याशियों ने उक्त राजाज्ञा की विधिमान्यता को चुनौती दी, क्योंकि उनके अनुसार कम अंक पाने वाले पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को स्वत; प्रवेश मिल जाता था। जबकि अधिकतम अंक प्राप्त करने के बाद भी इस राजाज्ञा के कारण उन्हे प्रवेश नहीं मिल पाता था।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों के बीच किया गया उपवर्गीय अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ेपन की परिकल्पना करना है न कि केवल सामाजिक या केवल आर्थिक कोई विशेष वर्ग पिछडा़ वर्ग है कि नहीं इसके निर्धारण के लिए व्यक्ति की जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है। गरीबी, पेशा और निवास–स्थान आदि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत राजाज्ञा में किसी के पिछड़ेपन को निर्धारित करने केलिए केवल जाति को आधार बनाया गया है। मैसूर राज्य द्वारा अपनाये गये तरीके के परिणामस्वरुप पिछड़े वर्गों की सूची में उन सभी जातियों समुदायों को सम्मलित किया गया था जिनके विद्यार्थियों की संख्या का औसत प्रति हजार सरकारी औसत से कुछ ही ऊपर या उसके लगभग था। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि इसके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की सूची में राज्य को 90 प्रतिशत जनसंख्या सम्मलित हो गयी थी इससे भी बड़ी बात यह थी कि इनमें 86 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिये गये थे।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार राज्य की जनसंख्या के अधिकतम भाग को पिछडे वर्गो में सम्मलित करना न्यायोचित नहीं है। और यह अनुच्छेद 15(4) का सरासर अतिक्रमण है। शिक्षण संस्थानों में पिछड़े

© SHARAD

वर्गो के लिए 68 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना संविधान के साथ कपट करने के समान है। अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गो के लिए केवल विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। किन्तु उनके लिए अनन्य रुप से प्रावधान बनाने की शक्ति नहीं देता।

राज्य द्वारा पिछड़े वर्गो की उन्नति करने के उत्साह में समाज के शेष वर्गों की उपेक्षा करना न्यायोचित नहीं। यदि योग्य और कुशल विद्यार्थियों को उच्चतम शिक्षण–संस्थाओं में प्रवेश पाने से वंचित किया जाऐगा तो राष्ट्रीय हित की क्षति होगी। न्यायालय ने यह कहा कि इस प्रकार के विशेष प्रावधान राज्य की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए नहीं होना चाहिए।

देवदासन बनाम भारत संघ (A.I.R 1964, SC 179)

इस वाद में सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए लोकपदों के आरक्षण के लिए एक नियम बनाया था जिसको अग्रनयन नियम (Carry Forward Rule) कहते है।

अग्रनयन के नियम के अनुसार 17 प्रतिशत पद पिछडी जातियों के लोगों के लिए प्रतिवर्ष आरक्षित जातियां और अदिवासियों के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते है। तो रिक्त पदों को अनारक्षित माना जाएगा और रिक्त स्थानों को इन जातियों के लिए निश्चित अगले वर्ष के कोटे में दिया जायेगा। ऐसा अगले दो वर्षों तक किया जा सकता है । इस नियम के परिणामस्वरुप 61 प्रतिशत लोकपद अनुसूचित एवं आदिम जातियों के लिए आरक्षित हो जातें थे।

उच्चतम न्यायालय ने 4;1 के बहुमत से अग्रनयन नियम को अंसवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के कोटे को उसी वर्ष तक सीमित रखना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष पिछडी जातियों के लिए पदों का आरक्षण इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि एकाधिकार उत्पन्न कर दे या अन्य समुदाय के विधिक अधिकारों में अनुचित रुप से हस्तक्षेप कर दे।

इन्द्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (A.I.R 1993, SC 477) (मणडल आयोग मामला)

1997 में जब केन्द्र में जनता दल की सरकार सत्ता में आयी तो उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने सासंद श्री बी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में पिछडे वर्गा के निर्धारण के लिए 1 जनवरी 1979 को द्वितीय पिछडा वर्ग आयोग की मियुक्ति की दुर्भाग्यवश 2 वर्ष बाद जनता दल की सरकार आन्तरिक फुट के कारण गिर गई और संसदीय चुनावो में कांग्रेस पार्टी पुनाः विजयी हुयी और श्रीमती इन्दिरा गॉधी के नेतृत्व में सरकार बनायी। दिसम्बर 1980 में मण्डल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा किन्तु कांग्रेस सरकार ने उसे लागू नहीं किया। 1989 में चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुयी जनता दल पुन; सत्ता में आया। चूँकि जनता दल ने चुनावों में मण्डल रिपोर्ट लागू करने का वचन दिया था अत; 13 अगस्त 1990 को प्रधानमन्त्री श्री वी0पी0 सिंह की सरकार ने कार्यपालिकीय आदेश जारी करके मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गो के लिए सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत पदों को आरक्षित कर दिया।

मण्डल रिपोर्ट के स्वीकार करने के सरकार की घोषणा के परिणामस्वरुप देश भर में आरक्षण विरोधी हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और 3 माह चलता रहा जिसमें कई छात्र छात्राओं ने आत्मदाह किया और बहुत बडी मात्रा में राष्ट्रीय संम्पति को क्षति पहुंची।

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता संघ ने उक्त सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की न्यायालय की पांच न्यायधिपतियों की पीठ ने 1 अक्टूबर 1990 को उक्त आदेश के क्रियान्वयन को मुकदमें के निर्णय होने तक के लिए स्थगित कर दिया इस बीच आपसी फूट एव दल–बदल के करण जनता दल की सरकार गिर गयी और 1991 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी पुन; केन्द्र सत्ता में आ गयी। प्रधानमन्त्री श्री पी0सी0 नरसिंह राव की सरकार ने 13 अगस्त 1991 को पिछड़े वर्गो के लिए सरकारी

© SHARAD

नौकरियों में 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए एक कार्यपलिका आदेश जारी किया। कांग्रेस सरकार ने जनता दल की सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश में यह परिवर्तन किया कि आरक्षण का आधार आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गो के लिए भी कर दिया। न्यायालय के 5 न्यायाधिपतियों की पीठ ने मामले के महत्व को देखते हुए तथा आरक्षण के मामले में विधि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से और विशेष रुप से जब इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों मे एकरुपता नहीं है। 9 न्यायाधिपतियों की विशेष पीठ को निर्णय के लिए सौप दिया। न्यायालय के स्थगन के पश्चात भी सरकार ने पिछडे वर्ग के निर्धारण के लिए कथित अर्थिक कसौटी को नहीं बताया।

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री वी0पी0 सिंह सरकार द्वारा निर्गत 13.08.1990 का कार्यपलिका आदेश विधिमान्य है किन्तु उसे न्यायपालिका के निर्णय में विहित शर्तो के अनुसार ही लागू किया जा सकता है।

न्यायालय ने भी पी0बी0 नरसिंहराव के 25.09.1991 के आदेश में उस भाग को जिसमें आर्थिक आधार पर उच्च जाति के पिछडे वर्गो के लिए उपबन्ध था यह कहा कि उस निर्णय में दिये निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जा सकता है। बहुमत ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे निर्णय की तारीख से 4 माह के अन्दर एक स्थायी समिति आयोग की स्थापना करें जो न्यायालय द्वारा निर्णय मे दिये गये निर्वचन के अनुसार पिछड़े वर्गों की पहचान करें और उन आवेदनों की जांच करें के उस सूची में किसे रखा जाए और किसे निकाला जाए। पिछडे वर्गों की सूची में सम्पन व्यक्तियों (क्रीमीलेयर) को निकाल कर ही उक्त आरक्षण के आदेशों को लागू किया जा सकता है।

बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है बल्कि उसका एक उदाहरण है। यह अपने में पूर्ण है। आरक्षण अनुच्छेद 16(1) में अनुच्छेद 14 के अधीन प्रतिवादित वर्गीकरण के सिद्धान्त के आधार पर भी किया जा सकता है।

अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछडा वर्ग अनुच्छेद 15(4) के अधीन पिछडे वर्ग के समान नहीं–न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है के अनुच्छेद 16(4) में पिछडा वर्ग अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक पिछडा वर्ग के समान नही है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में पिछडे वर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सभी पिछडे वर्ग के नागरिक जिसमें सामाजिक एवं शैक्षिक पिछडा वर्ग भी आता है, सम्मलित है। इस प्रकार कितिपय वर्ग जो अनुच्छेद 15(4) में नहीं आते है अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग में आयेंगे। पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति की तरह हो।

उच्चतम न्यायालय ने मण्डल आयोग के मामले में निर्णय दिया कि–

1–पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण का सरकार का आदेश विधिमान्य है।

2–आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3–प्रोन्नति में आरक्षण नहीं किया जा सकता है।

4–पिछड़े वर्गों में क्रीमिलेयर के अन्तर्गत आने वालों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए।

5–आरक्षण के आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता है।

6–पिछड़े वर्गों के निर्धारण में जाति को कसौटी माना जा सकता है।

7–अग्रनयन के नियम को विधिमान्य घोषित किया।

© SHARAD

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)

उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 को, जिसके द्वारा केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (IIT & IIM और अन्य केन्द्रीय संस्थान भी आते है।) में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के उपबन्ध को संवैधानिक घोषित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

न्यायालय ने आरक्षण की इस व्यवस्था की समय सीमा निर्धारण करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस कानून की प्रत्येक 5 वर्ष में समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ण समीक्षा करना आवश्यक होगा। क्रीमिलेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर लागू नहीं होगा। न्यायालय ने निर्णय में कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान केवल जाति के आधार पर नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– भारत का संविधानः एक परिचय– डी0 डी0 बसु
2– भारतीय संविधान एक परिचय– एम0 वी0 पायली
3– भारत का संविधान– सुभाष कश्यप
4– भारत का संविधान– जे0 एन0 पाण्डेय
5– हमारी संसद– एम0 पुरी
6– भारतीय राजनीतिक व्यवस्था– एस0 एम0 सईद

******

© SHARAD